letter 2020 k

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5 / अभि / सीटीएडी / मंत्री अनुशंषित लिफ्ट / 2019–20 / 20586-600 दिनांक : 8/9/2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा / प्रतापगढ ।

विषय : नवीन / पुनरोद्धार सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को सौलर ऊर्जा से संचालित करने की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 38311–19 दिनांक 10.10.2019 एवं 3771–77 दिनांक 05.02.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की अनुपालना मे प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के कम में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार नवीन / पुनरोद्धार सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 4 अनुसार राशि 324.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना का स्थान	प्रशा. स्वीकृति दिनांक	तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि	प्रथम किश्त देय राशि
			क्र./दि.	राशि			
0	1	2	3	4	5	6	7
	जिला बांसवाडा						
1	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान नडीयादा ग्रा.पं. कोटडा छोटा पं.स. गढी	38311–19 10.10.2019	62/2.7.2020	61.22	5.40	55.82	
2	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान झूपेल ग्रा.पं. झूपेल पं.सं. बांसवाडा	38311–19 10.10.2019	61/2.7.2020	49.82	4.40	45.42	
3	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान कुशलकोट ग्रा.पं. सारनपुर पं.स. अरथुना	38311–19 10.10.2019	60/2.7.2020	48.74	4.30	44.44	
4	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान सारनपुर ग्रा.पं. सारनपुर पं.स. अरथुना	38311–19 10.10.2019	59/2.7.2020	48.64	4.29	44.35	225.25
5	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान बोरीया ग्रा.पं. बोरीया पं.स. बांसवाडा	3771–71 05.02.2020	65/2.7.2020	43.64	3.85	39.79	
	जिला प्रतापगढ						
6	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान भैरू खाखरा ग्रा.पं. कोटडी पं.स. अरनोद	38311–19 10.10.2019	63/2.7.2020	36.37	3.21	33.16	
7	नवीन सौलर सामुदायिक जलोत्थान जिरावता ग्रा.पं. भचुण्डला पं.स. अरनोद	38311–19 10.10.2019	64/2.7.2020	35.74	3.15	32.59	
	योग			**324.17**	**28.60**	**295.57**	**225.25**

P.T.O.

letter 2020 k

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 324.17 लाख के विरूद्व टीएडी मद की देय राशि 295.57 लाख की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–49/2018–19 दिनांक 16.01.2019 मे से उपलब्ध राशि **47.37** लाख तथा स्वीकृति संख्या–41/2019–20 दिनांक 08.11.2019 मे से उपलब्ध राशि **177.88** लाख प्रथम किश्त की कुल राशि 225.25 लाख रू. निदेशक, स्वच्छ परियोजना,उदयपुर को देय होगी। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्य के सम्पादन मे कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी –

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. **राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का Third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्त्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं मे लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावें । योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप मे लाभान्वित कृषको से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावें।
10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावें एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।
11. उपायुक्त टीएडी द्वारा निर्माण कार्यो की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावें।
12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख–रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावें तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावें।

क्रमशः--3

13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग–अलग जारी किये जावें। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावें।
14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय–2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय मे 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावें । जिसमें संचालन एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावें।
15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय–समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावें।

भवदीय

Sd/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित लिफ्ट/2019–20/ 20588-600 दिनांक : 8/7/2020

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा/प्रतापगढ ।
4. निदेशक, स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है टीएडी मद की देय राशि 295.57 लाख की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–49/2018–19 दिनांक 16.01.2019 मे से उपलब्ध राशि **47.37** लाख तथा स्वीकृति संख्या–41/2019–20 दिनांक 08.11.2019 मे से उपलब्ध **177.88** लाख होगी(कुल राशि 225.25 लाख)। टीएडी मद द्वारा देय राशि की प्रथम किश्त की कुल राशि 225.25 लाख रू. निदेशक, स्वच्छ परियोजना,उदयपुर को हस्तान्तरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, लोधा जी.एस.एस. के सामने, डूंगरपुर रोड, जिला बांसवाडा।
10. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com,Website www.tad.rajasthan.gov.in